

भारत गणराज्य की सरकार एवं अर्मीनिया गणराज्य की सरकार के बीच संस्कृति, कला, शिक्षा, पर्यटन, खेल-कूद और जन संचार माध्यम के क्षेत्रों में सहयोग के संबंध में करार

भारत गणराज्य की सरकार और अर्मीनिया गणराज्य की सरकार जिन्हें अब से "पक्षकार" कहा जाएगा,

मैत्री की ऐतिहासिक और पारंपरिक भावनाओं से अभिप्रेरित होकर,

दोनों पक्षकारों के बीच संस्कृति, कला, शिक्षा, पर्यटन, खेल-कूद और जन-संचार माध्यम के क्षेत्रों में मैत्री और सहयोग को विकसित करने और सुदृढ़ करने के अपने इरादे को अभिव्यक्त करते हुए,

निम्नलिखित पर सहमत हुई है:

अनुच्छेद 1

पक्षकार संस्कृति, कला, शिक्षा, पर्यटन, खेल-कूद और जन संचार माध्यम के क्षेत्रों में सहयोग बनाए रखने और सुदृढ़ करने की अपनी इच्छा की घोषणा करते हैं।

अनुच्छेद 2

पक्षकार पारस्परिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने तथा दोनों पक्षकारों की शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खेल और शोध संस्थाओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने और संबंधों के विकास को समर्थन देने की अपनी इच्छा अभिव्यक्त करते हैं।

अनुच्छेद 3

प्रत्येक पक्षकार अपनी शैक्षिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में अध्ययन, प्रशिक्षण, शोध और विशेषज्ञता संबंधी कार्यों के लिए दूसरे पक्षकार द्वारा अनुशंसित राष्ट्रों का, अपने-अपने संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुसार, स्वागत करेगा।

अनुच्छेद 4

प्रत्येक पक्षकार अपने देश के विधान और विनियमों के अनुसार दूसरे देश के नागरिकों को इस करार की भावना के अनुरूप वैज्ञानिक कार्य, अध्ययन और शोध संबंधी कार्यों के लिए पुस्तकालयों, वीथियों, अभिलेखागारों और अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं को सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद 5

पक्षकार इस करार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश में प्रचलित विधान के अनुसार अपने-अपने देश में सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

अनुच्छेद 6

पक्षकार दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की गई डिग्रीयों, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों को पारस्परिक रूप से मान्यता प्रदान करने को सुविधाजनक बनाने हेतु प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद 7

पक्षकार दोनों देशों के बीच चलचित्र कला, दूरदर्शन और प्रसारण सहित संचार माध्यमों से संबंधित क्रियाकलापों में सहयोग को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद 8

पक्षकार दोनों देशों के बीच खेल-कूद के क्षेत्र में, जहां तक संभव हो, सहयोग को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद 9

पक्षकार दोनों देशों के बीच पर्यटन के क्षेत्र में, जहां तक संभव हो, सहयोग को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद 10

दोनों पक्षकार इस करार को कार्यान्वित करने के लिए सभी उचित उपाय करेंगे तथा सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

अनुच्छेद 11

इस करार की शर्तों का अनुपालन करने के उद्देश्य से, दोनों पक्षकार एक दल की स्थापना करने के लिए सहमत हैं, जिसमें प्रत्येक पक्षकार के प्रतिनिधियों की बराबर-बराबर संख्या होगी। दल के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:

- ॥क॥ एक विस्तृत आदान-प्रदान कार्यक्रम तैयार करना और
- ॥ख॥ करार के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करते रहना।

दल आवश्यकता पड़ने पर बैठक बुलाएगा।

अनुच्छेद 12

वर्तमान करार में संशोधन और परिवर्धन दोनों पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से किए जाएंगे।

अनुच्छेद 13

वर्तमान करार हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा और पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा तथा और पांच वर्ष की अवधि के लिए एक बार स्वतः विस्तारित कर दिया जाएगा, जब तक दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार करार समाप्त करने के अपने इरादे से संबंधित लिखित नोटिस छः माह पहले दूसरे पक्षकार को नहीं देगा।

करार की समाप्ति पहले से निष्पादित की गई अथवा चल रही परियोजनाओं को उनके पूरा होने तक प्रभावित नहीं करेगी।

नई दिल्ली में वर्ष 1995 के दिसम्बर माह के 14^{वें} दिन को हिंदी, अर्मीनियाई और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक में दो-दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित किया गया। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक है। संदेह की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।



भारत गणराज्य

की सरकार

की ओर से



अर्मीनिया गणराज्य

की सरकार

की ओर से

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA ON COOPERATION IN THE SPHERES OF CULTURE, ARTS, EDUCATION, TOURISM, SPORTS AND MASS-MEDIA

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Armenia, hereafter referred to as "Parties",

MOVED by the historical and traditional feelings of friendship,

DECLARING their intention to develop and strengthen friendship and cooperation between both Parties in spheres of culture, arts, education, tourism, sports and mass-media.

HAVE agreed as follows:

ARTICLE 1

The Parties declare their desire to maintain and strengthen co-operation in the fields of culture, arts, education, tourism, sports and mass-media.

ARTICLE 2

The Parties express their desire to promote mutual cultural exchanges, to stimulate co-operation and support the development of relations between the educational, scientific, cultural, sporting and research institutions of the two Parties.

ARTICLE 3

Each Party will receive, as far as its own resources and requirements will permit, nationals recommended by the other Party for study, training, carrying out research work and specialisation in its educational, cultural, scientific and technical institutions.

ARTICLE 4

Each Party will, in accordance with its country's laws and regulations, provide citizens of the other country access to libraries, galleries, archives and other cultural institutions for scientific work, study and research purposes consistent with this Agreement.

ARTICLE 5

The Parties will consider the question of establishing cultural institutes in their countries according to laws prevailing in each country, for achieving the objectives of this Agreement.

ARTICLE 6

The Parties will endeavour to facilitate the mutual recognition by universities and other educational authorities in the two countries of the degrees, diplomas and certificates awarded by them.

ARTICLE 7

The Parties will promote co-operation between the two countries in media related activities including cinematography, television and broadcasting.

ARTICLE 8

The Parties will promote, so far as possible, co-operation between the two countries in the field of sports.

ARTICLE 9

The Parties will promote, so far as possible, co-operation between the two countries in the field of tourism.

ARTICLE 10

The two Parties will take all appropriate measures and provide all possible facilities for implementation of this Agreement.

ARTICLE 11

For the purpose of carrying out the terms of this Agreement, the two Parties agree to set up a Group consisting of an equal number of representatives of each Party. The objectives of the Group will be:-

- a) to formulate a detailed programme of exchanges, and
- b) to keep under periodical review the implementation of the Agreement.

The Group shall meet as and when necessary.

ARTICLE 12

The amendments and addenda to the present Agreement may be made by mutual consent of the Parties.

ARTICLE 13

The present Agreement shall enter into force from the date of its signing and shall be valid for a period of five years and shall automatically be extended for a further period of five years at a time unless either of the parties gives to the other written notice, six months in advance, of its intention to terminate the Agreement.

The termination of the Agreement shall not affect the projects already executed or in progress till their completion.

Signed at New Delhi on this 14th day of December, 1995 in two originals each in Hindi, Armenian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of doubt the English text shall prevail.



For the Government of the
Republic of India



For the Government of the
Republic of Armenia